

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ. 1859 सीसी/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :

#### आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5397/18 श्री भोमाराम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 16.07.18 की पालना में निदेशालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 1859 सीसी/स्वा.का.पु./2019/373 दिनांक 04.04.19 के द्वारा याचिकाकर्ता श्री भोमाराम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पर क्रमशः 1200-2050/4000-6000, 1400-2600/5000-8000 एवं 1640-2900/5500-9000 की संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला एवं दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अध्याधीन स्वीकृत की गई थी।

उक्त आदेश को राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101902016 दिनांक 03.05.19 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. संख्या 820 दिनांक 13.05.19 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हृ

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

दिनांक : 28/5/19

क्रमांक:एफ. 1859 सीसी/स्वा.का.पु./2019/609

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101902016 दिनांक 03.05.19 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 820 दिनांक 13.05.19 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अर्द्ध, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
9. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

ग

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर